राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2352/2015

गुरदर्शन सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये मुख्य अभियंता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 08.08.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति. राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने अपनी इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 31.7.1976 को कनिष्ट लिपिक के पद पर हुई थी। अपीलार्थी राज्य सरकार की सेवा से अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने उपरान्त दिनांक 31.3.2011 को वरिष्ठ लिपिक के पद से सेवानिवृत्त हुआ है । अपीलार्थी ने पारिवारिक कारणों से दिनांक 1.3.1983 से 5.12.1988 तक अवकाश पर रहा, अवकाश समाप्ति पर अपीलार्थी ने दिनांक 6.12.1988 को अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की जिसे प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, अपीलार्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाया गया। अपीलार्थी माननीय अधिकरण के समक्ष दिनांक 6.12.1988 से 13.8.1990 तक की अवधि का वेतन एवं सेवालाभ स्वीकृत कराने, वर्ष 1987 से वेतन वृद्धियां तथा वेतनमान 1986 में वेतन निर्धारण करवाने एवं समस्त सेवा लाभ दिलवाये जाने बाबत अपील संख्या 3147/2000 प्रस्तुत की जिसमें माननीय अधिकरण ने अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुऐ दिनांक 22.06.2011 को आदेश पारित किया कि "परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है, प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते है कि अपीलार्थी को दिनांक 6.12.1988 से 13.6.1990 तक की अवधि में ड्यूटी पर उपस्थित मानकर उसे वेतन भत्तों का भुगतान किया जाये तथा इस अवधि को समस्त प्रयोजनार्थ ड्यूटी माना जाये, अपीलार्थी के बकाया वेतन निर्धारण, चयनित वेतनमान प्रकरण भी स्वीकृत किये जावे। आदेश की पालना तीन माह में की जावे।''
2. माननीय अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में दिया गया आदेश दिनांक 22.6.2011 की पालना बाबत अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को कई बार लिखित

में एवं मौखिक रूप से निवेदन किया परन्तु किसी प्रकार का विचार नहीं किया, माननीय अधिकरण के आदेश को हुऐ तीन माह की अवधि व्यतीत हो चुकी थी परन्तु पालना तीन माह में नहीं की गई। अधिवक्ता के मार्फत नोटिस दिनांक 4.10.2012 को दिया जिसके बाद अपीलार्थी को 6.12.1988 से 13.6.1990 तक केवल वेतन का भुगतान दिनांक 5.12.2012 को किया गया जो कि माननीय अधिकरण के आदेश लगभग 1 वर्ष तीन माह पश्चात किया गया किन्तु फिक्सेशन, चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया, अपीलार्थी को जानबूझकर तंग व परेशान किया गया। अपीलार्थी को छुट्टियों नगदीकरण का बकाया भुगतान दिनांक 30.1.2014 को किया गया एवं दिनांक 7.3.2014 को एवं 15.3.2014 को वेतन स्थरीकरण एवं ऐरियर राशि का भुगतान किया गया, जो कि माननीय अधिकरण के आदेश के लगभग 2 वर्ष 6 माह पश्चात किया गया एवं ग्रेच्युटी एवं कन्प्यूटेशन का भुगतान लगभग 2 वर्ष 8 माह पश्चात किया गया तथा पेंशन ऐरियर राशि का भुगतान लगभग 2 वर्ष 9 माह पश्चात किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी को जो भुगतान माननीय अधिकरण के तीन माह के अन्दर किया जाना था वह लगभग तीन वर्ष पश्चात किया गया। अपीलार्थी को तंग व परेशान किया गया । इस अवधि में अपीलार्थी को काफी आर्थिक एवं मानसिक संकटों का सामना करना पड़ा। अपीलार्थी उपरोक्त ऐरियर राशि पर 18 प्रतिशत ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी का वेतन स्थिरिकरण का प्रकरण अत्यधिक पुराना होने के कारण तैयार करने एवं स्वीकृत कराने व अलग–अलग कार्यालयो से कार्यवाही होने के कारण समय लगा एवं भुगतान हेतु अतिरिक्त बजट आबंटित करवाने में समय लगा जिस कारण विभाग दोषी नहीं हैं एवं ब्याज दिया जाने का कोई प्रावधान नहीं हैं। प्रकरण में अधिकरण के आदेशानुसार तैयार कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुऐ भुगतान किया गया हैं । प्रकरण में निम्नानुसार कार्यवाही की गई हैं । प्रमुख शासन सचिव इ.गा.न.प. जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 1 (121) इगानवि/विशा/2000 जयपुर दिनांक 21.08.2012 के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर, अपील संख्या 3147/2000 में निर्णय दिनांक 22.06.2011 के विरूद्ध रिट दायर नही करने का निर्णय लिया गया। दिनांक 6.12.1988 से 13.06.1990 के भुगतान हेतु सहायक अभियन्ता उपखण्ड द्वितीय 28 वा प्र.नि. 10वां खण्ड के बिल सं.80 दिनांक 30.11.2012 के द्वारा भुगतान दिनांक 5.12.2012 को किया

गया। उसके उपरान्त पुनरिक्षित वेतनमान 1987 व 1989 का वेतन स्थिरिकरण उपखण्ड कार्यालय पत्र क्रमांक 498 दिनांक 08.01.2013 के द्वारा स्वीकृति हेतु भेजा गया जो कि 09.01.2013 को वृत कार्यालय से स्वीकृत हुआ। स्थिरिकरण दिनांक 01.02.2013 को वृत कार्यालय से स्वीकृत पुनरिक्षित वेतन हो कर प्राप्त हुआ। 9 वर्ष की सेवा पर चयनित वेतन स्थिरिकरण मु.अभि. कार्यालय से 6.3.2013 को स्वीकृत हुआ तथा संशोधित वेतन वृद्धि उपखण्ड कार्यालय से स्वीकृत होने के उपरान्त 18 वर्ष की सेवा पर चयनित वेतन स्थिरिकरण मुख्य अभियन्ता कार्यालय से 10.09.2013 को स्वीकृत हुआ । संशोधित वेतन वृद्धि स्वीकृत होने के उपरान्त पुनरिक्षित वेतन स्थिरिकरण हेतु उपखण्ड कार्यालय के पत्र क्रमांक 895 दिनांक 12.09.2013 द्वारा भेजा गया जो दिनांक 01.10.2013 को स्वीकृत हुआ एवं पत्र संख्या 960 दिनांक 4.10.2013 के द्वारा 27 वर्ष की सेवा पर चयनित वेतनमान स्वीकृत हेतु मु. अभि. कार्यालय भेजा जो 22.11.2013 को स्वीकृति उपरान्त मुख्य अभियन्ता इ.गा.न.प. बीकानेर कार्यालय से प्राप्त हुआ। पुनरिक्षित वेतनमान 01.01.2006 से उपखंड कार्यालय के पत्रांक 1060 दिनांक 25.11.2013 स्वीकृति हेतु वृत कार्यालय में प्रस्तुत किया गया जो कि 5.12.2013 को स्वीकृत हुआ। उसके उपरान्त संशोधित 27 वर्ष की सेवा का चयनित वेतनमान दिनांक 12.12.2013 को खण्डीय कार्यालय से स्वीकृत हुआ कर्मचारी का सम्पूर्ण भुगतान कर उसके उपरान्त पेंशन प्रकरण भी स्वीकृत करवा कर भुगतान कर दिया गया हैं।

4. इस प्रकरण में अपीलार्थी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के उपरांत दिनांक 31. 03.2011 को सेवानिवृत्त हुआ है। अधिकरण द्वारा अपील संख्या 3147/2000 में पारित आदेश दिनांक 22.06.2011 में अपीलार्थी को दिनांक 06.12.1988 से 13.06.1996 की अवधि तक ड्यूटी में उपस्थित मानते हुए वेतन भत्तों का भुगतान किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। अपीलार्थी ने उक्त आदेश की पालना देरी से भुगतान किये जाने पर एरियर राशि पर 18 प्रतिशत ब्याज दर की मांग की है। इस अधिकरण ने जो आदेश दिनांक 12.06.2011 को दिया है, उसमें वेतन भत्तों के भुगतान किये जाने की कोई निश्चित अवधि नहीं बताई थी और न ही ब्याज दिये जाने के आदेश दिये थे। ऐसे में बकाया वेतन पर अपीलार्थी को कोई ब्याज नहीं दिलाया जा सकता है। उक्त आदेश दिनांक 22.06.2011 की पालना में सेवानिवृत्त फायदों का जो भुगतान देरी से किया गया है, उस पर अपीलार्थी नियम–89 राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम–1996, के अनुसार प्राप्त करने का अधिकारी है।

5. अतः यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अधिकरण द्वारा अपील संख्या 3147/2001 में पारित आदेश दिनांक 22.06.2011 की पालना में जो सेवानिवृत्ति फायदों का विलम्ब से भुगतान किया गया है, उस पर अधिकरण के आदेश की दिनांक 22.06.2011 से 60 दिवस पश्चात से अपीलार्थी को बकाया सेवानिवृत्ति फायदों पर उक्त नियमानुसार अपीलार्थी को ब्याज अदा किया जाये।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)